

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

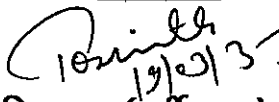
क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1164 / 2025

दिनांक 21.03.2025

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11-  
(3) न्याय 2002, दिनांक 08.09.2005 सपठित राजकीय सेवा विभाग 1951 के नियम  
91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनांक 01.04.2000 से  
दो वर्षों के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम 30 दिवस के उपार्जित अवकाश का नकद  
भुगतान अनुज्ञेय किया गया है अतः निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार  
अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता  
है। जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई :-

| क्र.सं. | नम अधिकारी एवं पदनाम                                                                | समर्पित<br>अवकाश के<br>दिनों की<br>संख्या | ब्लॉक वर्ष | समर्पित अवकाश<br>की दिनांक |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 01.     | श्रीमती रिद्धिमा शर्मा<br>(RJ00558), अपर जिला एवं<br>सेशन न्यायाधीश कम-02,<br>अलवर। | 30                                        | 2024-2026  | 14-02-2025                 |

आज्ञा से,

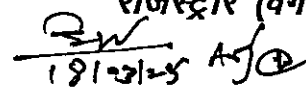
  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/42/2011/

दिनांक 21.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
3. श्रीमती रिद्धिमा शर्मा (RJ00558), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, अलवर।

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
  
18/03/25